भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †1726

उत्तर देने की तारीख- 05/12/2024

विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों का कल्याण

†1726. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) देश में विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की कुल संख्या कितनी है;

(ख) विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में पीवीटीजी के कल्याण और विकास के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) सरकार द्वारा पीवीटीजी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आजीविका के अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या पीवीटीजी की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण के लिए कोई विशिष्ट उपाय कार्यान्वित किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ग): माननीय प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर 2023 को 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) का शुभारंभ किया। मिशन का उद्देश्य 3 वर्षों में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और शिक्षा तक बेहतर पहुंच, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क और दूरसंचार संपर्क, अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को 9-लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। अभियान योजना के तहत आंध्र प्रदेश सहित पूरे देश में इसकी शुरुआत से दिए गए लाभों का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन/विभागों के माध्यम से पीएम जनमन के तहत कवर किए गए गांवों और बस्तियों में रहने वाली पीवीटीजी आबादी को कवर करने हेतु पीवीटीजी आबादी के आंकड़ों और अवसंरचना के अंतरों का अनुमान लगाने हेतु पीएम गति शक्ति मोबाइल एप्लिकेशन

के माध्यम से आवास स्तर पर डेटा संग्रह करने का कार्य शुरू किया है। एकत्र किए गए डेटा (21.11.2024 तक) के आधार पर, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, पीवीटीजी आबादी को **अनुलग्नक-II** में सारणीबद्ध किया गया है।

(घ) और (ङ): जनजातीय कार्य मंत्रालय पीवीटीजी की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण के लिए 'जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता' (टीआरआई) योजना के माध्यम से राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है। त्योहारों, आदि महोत्सव, जनजातीय भाषा, आदान-प्रदान यात्राओं, नृवंशविज्ञान अध्ययन, पारंपरिक प्रथाओं, आदान-प्रदान यात्राओं आदि के आयोजन के लिए भी निधियां दी जाती हैं ताकि पीवीटीजी सहित जनजातीय संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन सुनिश्चित किया जा सके। मंत्रालय द्वारा स्वीकृत ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा (राज्यवार वर्षवार) मंत्रालय की वेबसाइट (https://tribal.nic.in/Display_Apex_Minutes.aspx) पर देखा जा सकता है।

अनुलग्नक-I

"विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का कल्याण" के संबंध में डॉ. गुम्मा तनुजा रानी द्वारा दिनांक 05.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या †1726 के भाग (क) से (ग) के उत्तर के संबंध में संदर्भित अनुलग्नक

पीएम जनमन प्रगति (21 नवंबर 2024 तक)

मंत्रालय का नाम	उपाय	मिशन लक्ष्य (2023-2026)	स्वीकृतियां	वित्तीय स्वीकृतियां (करोड़ रुपए में)
ग्रामीण विकास मंत्रालय	पक्के मकान	4.90 लाख पक्के मकान	336367 मकान	2722.14
	संपर्क सड़के	8000 किमी सड़क	4484.30 किमी सड़क	3386.2
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	सचल चिकित्सा इकाईयां (एमएमयू)	1000 एमएमयू	616 एमएमयू	208.7
पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय	पाइप से जलापूर्ति (एफएचटीसी)	15309 गांव	6350 गांव 100% संतृप्त	344.35
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्युसी)	2500 एडब्ल्युसी	1864 एडब्ल्युसी	311.16
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय	छात्रावास	500 छात्रावास	194 छात्रावास	476.16
संचार विभाग, संचार मंत्रालय	मोबाइल टावर	3959 आवासों का कवरेज	1499 आवास	204.3
विद्युत मंत्रालय	आवासों का विद्युतीकरण	2.65 लाख आवास	140440 आवास	516.15
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	आवासों का विद्युतीकरण	विद्युत मंत्रालय द्वारा सभी पात्र और कवर नही किए गए	9569 आवास	47.86
जनजातीय कार्य मंत्रालय	बहुउद्देशीय केंद्र	1000 एमपीसी	873 एमपीसी	119.24
	वीडीवीके की स्थापना	500 वीडीवीके	501 वीडीवीके	33.61 (कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के 12.20 करोड़ रुपये सहित)
कुल (करोड़ रुपए में)				**8369.87**

संबंधित मंत्रालयों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार

आंध्र प्रदेश में पीएम जनमन के तहत दिए गए लाभों का विवरण (21.11.2024 तक)

मंत्रालय	उपाय	स्वीकृतियां	वित्तीय स्वीकृतियां (करोड़ रुपए में)
ग्रामीण विकास मंत्रालय	पक्के मकान	32258 मकान	44.33
	संपर्क सड़कें	315.538 किलोमीटर सड़क	280.53
जल शक्ति मंत्रालय	पाइप से जलापूर्ति	372 गांव संतृप्त	उपलब्ध नहीं है
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	सचल चिकित्सा इकाईयां (एमएमयू)	119 एमएमयू स्वीकृत	40.31
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी)	266 आंगनवाड़ी केंद्र	43.44
शिक्षा मंत्रालय	छात्रावास	8 छात्रावास	18.85
विद्युत मंत्रालय	आवासों का विद्युती करण	25054 आवास	88.71
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	आवासों का विद्युतीकरण	1675 आवास	8.38
दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय	मोबाइल टावर	1010 बस्तियां	94.5
जनजातीय कार्य मंत्रालय	बहुउद्देशीय केंद्र (एमपीसी)	125 एमपीसी	14.97
	वीडीवीके की स्थापना	73 वीडीवीके	3.105

*संबंधित मंत्रालयों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार

अनुलग्नक-II

"विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का कल्याण" के संबंध में डॉ. गुम्मा तनुजा रानी द्वारा दिनांक 05.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या †1726 के भाग (क) से (ग) के उत्तर के संबंध में संदर्भित अनुलग्नक

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/विभाग द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन आधारित आवास सर्वेक्षण के आधार पर पीवीटीजी आबादी (21.11.2024 तक)

क्र.सं.	राज्य*	पीवीटीजी जनसंख्या
1	अंडमान और निकोबार	191
2	आंध्र प्रदेश	492552
3	छत्तीसगढ़	229743
4	गुजरात	153516
5	झारखंड	398952
6	कर्नाटक	57448
7	केरल	29511
8	मध्य प्रदेश	1229201
9	महाराष्ट्र	623143
10	ओडिशा	300436
11	राजस्थान	128456
12	तमिलनाडु	380376
13	तेलंगाना	63194
14	त्रिपुरा	273240
15	उत्तर प्रदेश	3527
16	उत्तराखंड	92233
17	पश्चिम बंगाल	67087
कुल योग		**4522806**

* बिहार और मणिपुर इस अभियान के अंतर्गत शामिल अन्य राज्य हैं।
